फैक्स/आवश्यक/महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-चार-101(102)/2016(पदोन्नति) दिनॉकः लखनऊः अक्टूबर 21 2016

शुद्धिपत्र

इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनॉक 20–10–2016 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

उक्त आदेश के क्रम संख्या–16 एवं 39 पर उपनिरीक्षक अभिसूचना श्रीनिवास का नाम सहवन 02 बार टंकित हो गया है, एवं उपनिरीक्षक प्रतिभा सिंह,सुरक्षा शाखा का नाम उक्त आदेश में टंकित होने से छूट गया है । इस प्रकार क्रमॉक 16 पर श्रीनिवास एवं क्रम 39 पर प्रतिभा सिंह का नाम पढा जाय। अतः पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में उपनिरीक्षक ना0पु0 प्रतिभा सिंह, सुरक्षा शाखा लखनऊ को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर सुरक्षा शाखा में ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानीय प्रोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। यह प्रोन्नति रिट याचिका संख्या–1645/2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626/2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। अतः उक्त आदेश को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाए।

क0 सं0	पीएनओ	नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती जनपद/इकाई	जोन/ इकाई	चयन वर्ष–
39	980820269	प्रतिभा सिंह	15.05.1971	हमीरपुर	सुरक्षा विभाग लखनऊ	सुरक्षा मुख्यालय	2015

2– पदोन्नति पायी उक्त निरीक्षक अपने नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाए कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद प्रभारी उन्हें अपने स्तर से सूचित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप(क)में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनॉक 28–5–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क)यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

Dig

(ख)यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग)यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित उपनिरीक्षक के पदोन्नति आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जहॉ पर संबंधित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय व इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की ज़ा रही है।

संलग्नक–प्रारूप(क)

21/10/16

(वी0के0गर्ग)
पुलिस उपमहानिरीक्षक(कार्मिक)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा शाखा लखनऊ ।

2–सदस्य सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

3–पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

प्रारूप-क

स्वघोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व PNO)पुत्र.....
निवासी.....थाना.....जनपद.....वर्तमान में(जनपद/इकाई का नाम)
.....नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली -1991 के नियम-14(1)के अर्न्तगत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नही है तथा कोई अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नही है न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ ।

(क) रिट याचिका संख्या:1645/2015 अरबिन्द कुमार व 70 अन्य,4626/2015 सतोंष कुमार वैश्व व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मुझे स्वीकार होगा ।

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अर्न्तगत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे आपत्ति नही होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम व PNOसहित)
नियुक्ति स्थान व दिनॉक

यदि संबंधित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1)के अर्न्तगत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नही है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

1-वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश दिनॉक तथा कारण.....।
2-मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1)के अर्न्तगत जनपद/इकाई..... में कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है जिसमें दिनॉक.....को आरोप पत्र दिया गया है।
3-मेरे विरूद्ध मु0अ0स0.....धारा.....थाना.....जनपद.....में लम्बित है,जिस में दिनॉक ..... को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी.....द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में .....स्तर पर चल रहा है ।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम व PNOसहित)
नियुक्ति स्थान व दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी का नाम/पदनाम की मुहर

नोटः-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हों उसे स्पष्ट पर से काट(X)दिया जाय।